संख्या-16/2015/3164 /37-1-2015-5(129)/2010

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पशुधन अनुभाग-। लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2015

विषयः प्रदेश के जनपदों में सोसायटी फार प्रिवेन्शन आफ क्रूएल्टी टू एनीमल्स (एस0पी0सी0ए0) को क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि पशुधन विभाग के विज्ञप्ति/अधिसूचना संख्या-3584/37-1-2010-11(29)/2001, दिनांक 28-7-2010 द्वारा जनपदों में आपकी अध्यक्षता में एस0पी0सी0ए0 का गठन किया गया है तथा शासनादेश संख्या-4542/37-1-2012, दिनांक 15-1-2013 एवं शासनादेश संख्या-534/37-1-2013, दिनांक 4-6-2013 द्वारा एस0पी0सी0ए0 में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन किया जा चुका है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश संख्या-3330/37-1-2013-05(129)/2010, दिनांक 24-9-2013 एवं आदेश संख्या-3630/37-1-2013-05(129)/2010, दिनांक 10-10-13 द्वारा माह में कम से कम एक बार एस0पी0सी0ए0 की बैठक आहूत कर शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से यह परिलक्षित हो रहा है कि जनपदों में एस0पी0सी0ए0 की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही है, जिसके कारण ये समितियाँ निष्क्रिय हो गयी हैं।

अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया अपने जनपद में एस0पी0सी0ए0 को सक्रिय करते हुये प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अवश्यमेव बैठक आहूत कर कृत कार्यवाही से निदेशक, पशुपालन के माध्यम से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव

संख्या-16/2015/3164 (1)/37-1-2015, तददिनांक ।

प्रतिलिपिः-

1- निदेशक पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि इसे मासिक समीक्षा बैठक का अंग बनाये ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in